

परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 7842 सदन में उत्तर देने का दिनांक 31.03.2016

माननीय विधायक श्री ओमकार सिंह मरकाम

क्षतिग्रस्त मार्गों की जानकारी

विभाग द्वारा की गई कार्यावाही

क्रमांक	मार्ग का नाम	विभाग द्वारा की गई कार्यावाही
1	समनानुर से बोंदर (मानिकपुर जक्शन से बोंदर जक्शन)	ठेकेदार द्वारा मार्गों का संधारण कार्य मापदण्डानुसार नहीं करने के कारण 01.12.2013 से 30.11.2015 तक की अवधि का भुगतान नहीं किया गया। ठेकेदार को अनुबंध की धारा 32 के तहत कारण बताओ नोटिस क्रमांक 1695 दिनांक 30.11.2015 को दिया गया। परंतु इस के उपरांत भी ठेकेदार द्वारा संधारण कार्य नहीं किये जाने के कारण महाप्रबंधक द्वारा दिनांक 11.01.2016 को अनुबंध को निरस्त किया गया। ठेकेदार द्वारा अनुबंध की धारा - 24 के तहत प्रकरण में सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिस पर कार्यावाही प्रक्रियाधीन है।
2	गाडासरई बजाग रोड़ से जलदा	
3	गोरखपुर से गोपालपुर	
4	जाड़ासुरंग से गोपालपुर	
5	रुसा से जाड़ासुरंग (बरेंडा जक्शन)	ठेकेदार द्वारा मार्गों का संधारण कार्य मापदण्डानुसार नहीं करने के कारण 15.04.2014 से 14.10.2015 तक की अवधि का भुगतान नहीं किया गया। ठेकेदार को अनुबंध की धारा 33 के अंतर्गत महाप्रबंधक द्वारा पैकेज का अनुबंध निरस्त गया है, अनुबंध की धारा-24 के तहत प्रकरण की सुनवाई में प्राधिकरण द्वारा पैकेज के समस्त मार्गों का संधारण कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को दिनांक 31.03.2016 तक का समय दिया गया है। वर्तमान में ठेकेदार द्वारा संधारण कार्य प्रारंभ कर दिया गया जो कि प्रगति पर है।

सूचना सं. [ क. 7842 ]